



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 192-2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021 (AGRAHAYANA 2, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 नवम्बर, 2021

संख्या 66/ST-1.— चूंकि, राज्य सरकार की सतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है।

इसलिए, अब हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप-धारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में दिनांक 23 नवम्बर, 2021/24 नवम्बर, 2021 की मध्यरात्रि से निम्नलिखित संशोधन तुरन्त प्रभाव से करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, —

1. अनुसूची क में, —

(i) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 3ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1.	2.	3.
"3ख	विमानन टरबाइन ईंधन (ए0टी0एफ0) जब क्षेत्रीय संयोजकता योजना (आर0सी0एस0)—उड़ान सहित सभी हवाई अड्डों पर सभी यात्री उड़ानों को बेचा जाता है, तो इसके साथ संलग्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्वधीन।	1%

“व्याख्या:— ऐसी उड़ानें, जो किसी यात्री को नहीं ले जाती हैं, लेकिन केवल ईंधन भरने/पड़ाव के लिए संचालित होती हैं, 1% की रियायती दर के लिए पात्र नहीं होंगी।”;

(ii) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 3ख तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

1.	2.	3.
"3ग	विमानन टरबाइन ईंधन (ए0टी0एफ0) जब व्यवहारी को बेचा जाता है, जो सभी एम0आर0ओ0 गतिविधियों और हवाई साहसिक गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, तो इसके साथ संलग्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अध्वधीन।”	1%

**प्रविष्टि संख्या 3ख और 3ग के अधीन रियायती दर पर
ए0टी0एफ0 की खरीद के लिए प्रमाण पत्र।**

क्रम संख्या—

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विमानन टरबाइन ईंधन (ए0टी0एफ0) — (विमानन टरबाइन ईंधन बेचने वाले व्यवहारी का नाम) से खरीदा गया है।

क्रम संख्या	बीजक संख्या	दिनांक	मात्रा	मूल्य

दिनांक

एयरलाइंस के प्राधिकृत अधिकारी/हवाई साहसिक गतिविधि के आयोजक के हस्ताक्षर

एयरलाइंस के प्राधिकृत अधिकारी/हवाई साहसिक गतिविधि के आयोजक का नाम और पदनाम

“एक प्रमाण पत्र में केवल एक तिमाही के खरीद विवरण शामिल होंगे”।

2. **टिप्पणः—** यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

Notification

The 23rd November, 2021

No. 66/ST-1.— Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with proviso to said sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule A appended to the said Act, with effect from midnight of 23rd November, 2021/24th November, 2021, by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

1. in Schedule A,-

(i) under columns 1, 2 and 3, for serial number 3B and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.
“3B	Aviation Turbine Fuel (ATF) when sold to All passenger flights including under Regional Connectivity Scheme (RCS)-UDAN, at all airports subject to the condition of the submission of the certificate appended herewith.	1%”

“Explanation:- Flights that do not carry any passengers but operate only for refueling/parking shall not be eligible for concessional rate of 1%.”;

(ii) under columns 1, 2 and 3, after serial number 3B and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.
“3C	Aviation Turbine Fuel (ATF) when sold to the dealer which get used in all MRO activities and air adventure activities, subject to the condition of the submission of the certificate appended herewith.	1%

CERTIFICATE FOR PURCHASE OF ATF AT CONCESSIONAL RATE UNDER ENTRY NO. 3B and 3C				
Serial No. _____				
Certified that Aviation Turbine Fuel (ATF) as detailed below has been purchased from the - (Name of the dealer selling Aviation Turbine Fuel).				
Serial No.	Invoice No.	Date	Quantity	Amount
Date: _____				
Signature of Authorized Officer of the Airlines/organizer of air adventure activity				
Name and designation of Authorized Officer of the Airlines/ organizer of air adventure activity				
*One certificate shall contain purchases details of one quarter only.”				

2. **Note:-** This Notification shall be effective for the period of three years from the date of publication in the official gazette.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.